ग्राम पंचायत शिल्लीराजगीरी विकास खण्ड कुल्लू जिला कुल्लू के लेखों का
अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 01.04.22 से 31.03.24
भाग- एक

1 (क) प्रस्तावना :-

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व सयुंक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत शिल्लीराजगीरी विकास खण्ड कुल्लू जिला कुल्लू के अवधि 01.04.22 से 31.03.24 के लेखों का अंकेक्षण कार्य, हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान / सचिव कार्यरत रहे:-

प्रधान :-

क्र०सं०	नाम	अवधि
1	श्री डोले राम	01.04.22 से 31.03.2024 तक

सचिव :-

क्र०सं०	नाम	अवधि
1	श्री सेस राम	01.04.22 से 05.07.2023 तक
2	श्री हरी राम	06.07.23 से 31.03.2024 तक

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत शिल्लीराजगीरी के लेखों अवधि 01-04-2022 से 31-03-2024 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

क्रम संख्या	पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1	4.1	रोकड़ बही तथा बैंक खातों में अन्तर का समाधान न करने बारे	3.67
2	5 (क)	अनुदान राशि का उपयोग न करना	59.48
3	6 (क)	पंचायत राजस्व गृह कर की प्राप्त योग्य राशि की वसूली न करना	0.50
4	7	सचिव ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग के आदेशों की अवेहलना करके निर्माण कार्यों व सामग्री पर व्यय करने बारे ।	104.64
5	8	निर्माण कार्य में दोहरी हाजिरी (double attendance) लगाने के कारण सम्भावित दुर्विनियोजन लाभ प्रदान करने बारे	3.41
6	9 (क)	रॉयल्टी से संबन्धित फार्म w या x प्रस्तुत किए बिना ठेकेदारों को का भुगतान	10.56

भाग- दो

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत शिल्लीराजगीरी विकास खण्ड कुल्लू जिला कुल्लू के अवधि 01.04.22 से 31.03.24 तक के लेखों का प्रथम व वर्तमान अंकेक्षण श्री संतोष कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 02.11.2024 से 08.11.2024 तक ग्राम पंचायत कार्यालय मे किया गया। लेखों की विस्तृत पड़ताल हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया।

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2022-23	04/22	03/23
2023-24	08/23	12/23

<u>अस्वीकरण :-</u> अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियंत्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर तैयार किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना/ अभिलेख के अपूर्ण/ गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हि.प्र. राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा। विभाग का उत्तरदायित्व केवल चयनित माह तक ही सीमित रहेगा।

3 अंकेक्षण शुल्क :-

ग्राम पंचायत शिल्लीराजगीरी विकास खण्ड कुल्लू जिला कुल्लू के अवधि 01.04.22 से 31.03.24 तक के लेखों का अंकेक्षण शुल्क ₹ 4800/- आँका गया है । उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, हि.प्र. राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला-9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 09 दिनांक 08.11.2024 द्वारा अनुरोध किया गया है । जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि अंकेक्षण शुल्क की राशि को शीघ्र विभाग को प्रेषित कर दिया जाएगा।

4 वित्तीय स्थिति :-

ग्राम पंचायत शिल्लीराजगीरी द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.22 से 31.03.24 के लेखों की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी :-

(i) स्व: स्त्रोत व अन्य अनुदान :- ग्राम पंचायत शिल्लीराजगीरी के अवधि 01.04.22 से 31.03.24 तक की स्व: स्त्रोतों की वित्तीय स्थिति का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट (1)** में संलग्न है :-

Financial position of Own Sources of Gram Panchyat Shillirajgiri					
Year	**Opening Balance**	**Income**	**Total**	**Expenditure**	**Closing balance**
2022-23	881231.75	92241.00	973472.75	67541.00	905931.75
2023-24	905931.75	114618.00	1020549.75	34607.00	985942.75

(ii) अनुदान :- ग्राम पंचायत शिल्लीराजगीरी के अवधि 01.04.22 से 31.03.24 तक के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट (2)** में संलग्न है :-

Financial position of Grants of Gram Panchyat Shiliirajgiri					
Year	**Opening Balance**	**Income**	**Total**	**Expenditure**	**Closing balance**
2022-23	7358254.67	2154081.00	9512335.67	6857813.75	2654521.92
2023-24	2654521.92	1100223.00	3754744.92	2393136.00	1361608.92

(iii) 15 वाँ वित्त आयोग:- ग्राम पंचायत शिल्लीराजगीरी के अवधि 01.04.22 से 31.03.24 तक की 15 वाँ वित्त आयोग की वित्तीय स्थिति का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट (3)** में संलग्न है :-

Financial position of 15 th FC of Gram Panchyat Shiliirajgiri					
Year	**Opening Balance**	**Income**	**Total**	**Expenditure**	**Closing balance**
2022-23	2140384.00	1562822.00	3703206.00	326349.00	3376857.00
2023-24	3376857.00	747683.00	4124540.00	524093.00	3600447.00

बैंक समाधान विवरणी :-	
स्व स्त्रौत :-	
दिनांक 31.03.24 को रोकड़ बहियों में अन्तिम शेष	985942.75
अनुदान :-	
दिनांक 31.03.24 को रोकड़ बहियों में अन्तिम शेष (1361608.92 + 3600447)	4962055.92
कुल योग	**5947998.67**
दिनांक 31.03.24 को हस्तगत रोकड़ राशि का अंत शेष (1361608.92 + 3600447)	160.00
दिनांक 31.03.24 को बैंक खातों में अन्तिम शेष **(परिशिष्ट - 4)**	6315015.00
कुल योग	**6315175.00**
अंतर की राशि	**-367176.33**

(iv) एम जी नरेगा (परिशिष्ट -5)

Financial position of MGNREGA of Gram Panchyat Shillirajgiri					
Year	**Opening Balance**	**Income**	**Total**	**Expenditure**	**Closing balance**
2022-23	0.00	2580361.10	2580361.10	2580361.10	0.00
2023-24	0.00	1648652.50	1648652.50	1648652.50	0.00

4.1 E- Gram swaraj में संधारित रोकड़ बही तथा बैंक खातों में ₹3.67 लाख का समाधान न करने बारे ।

पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में वर्ष 2010-11 में पंचायत मिशन प्रोजेक्ट (एम०एम०पी०) प्रारम्भ की गयी थी । इस योजना के अन्तर्गत विभिन्न एप्लीकेशन है जिनमें पंचायत की दैनिक कार्यवाही जैसे की पंचायत द्वारा की गयी सेवाओं / सामान की खरीद/भुगतान सम्पत्ति इत्यादि का इंद्राज करना था । पंचायत के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2022-23 व 2023-24 में **E- Gram swaraj** में संधारित रोकड़ बही कुल प्राप्तियाँ व

कुल खर्चो को दर्ज किया गया था परंतु बैंक खातों में से मिलान नही किया गया था । इस प्रकार **E-Gram swaraj** एप्लीकेशन के अंतर्गत दर्ज आंकड़ो का वास्तविक प्राप्तियों के आंकड़ो से मिलान न होने पर बैंक शेष व **E- Gram swaraj** रोकड़ बही मे अंतर के कारण **E- Gram swaraj** रोकड़ बही में दर्ज आंकड़ो के सही होने की पुष्टि नहीं की जा सकती । परिणामस्वरूप पंचायती राज मंत्रालय द्वारा पंचायत मिशन प्रोजेक्ट (एम०एम०पी०) के अंतर्गत प्रारम्भ की गयी इस एप्लीकेशन को परिपूर्ण करने का उद्देश्य निष्फल रहा तथा रोकड़ बही व प्रिआसॉफ्ट में लेखो के सही होने की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकती । अत: ग्राम पंचायत की **E- Gram swaraj** में संधारित रोकड़ बही तथा बैंक खातों में कुल **₹ 367176.33** का अंतर पाया गया जिसका पंचायत द्वारा समाधान नहीं किया गया था । अतः पंचायत द्वारा रोकड़ बही का बैंक खातों के साथ मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है | उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 04 दिनाँक 04.11.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत शिल्लीराजगीरी के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि बैंक खातो व रोकड़ बही का मिलान नियमानुसार किया जाएगा व भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि को नहीं दोहराया जाएगा । अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड़ बहियों को बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

5 **(क) अनुदान राशियों का 31.03.2024 तक ₹ 59.48 लाख का उपयोग हेतु शेष राशि बारे ।**

सचिव ग्राम पंचायत शिल्लीराजगीरी द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई अनुदानों से सम्बन्धित अभिलेख/सूचनाओं के अवलोकन पर पाया गया कि पंचायत द्वारा दिनांक 31.03.24 तक 15 वां वित्तायोग से प्राप्त अनुदान से ₹ **59,47,998.67** की राशि उपयोग हेतु शेष थी । जिसका विस्तृत विवरण **पैरा संख्या 4 (ii)** व **(iii)** में दिया गया है जोकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 की अवहेलना है । अतः 15 वां वित्तायोग की अनुपयुक्त अनुदान राशि को यथाशीघ्र निर्धारित उद्देश्य हेतु उपयोग किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ख) अनुदान रजिस्टर का उचित अनुरक्षण व अद्यतन न करना

ग्राम पंचायत शिल्लीराजगीरी द्वारा अंकेक्षण अवधि **01.04.2022** से **31.03.2024** के दौरान अनुदान रजिस्टर का नियमानुसार उचित अनुरक्षण व अद्यतन नहीं किया गया था जोकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम **2002** के नियम **31** की

अवहेलना की गयी है । अतः इस सम्बन्ध में वस्तु स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अनुदान रजिस्टर का नियमानुसार उचित अनुरक्षण व अद्यतन करना सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6 **(क) पंचायत राजस्व गृह कर की देय राशि ₹ 0.50 लाख की वसूली न करना :-**

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम **1994** की धारा **100** तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्ष, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम **2002** के नियम **32** के अनुसार पंचायत को सम्पत्ति कर/गृहकर कर वसूली करना अपेक्षित है। ग्राम पंचायत के गृहकर की आय से सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच करने पर पाया गया कि **परिशिष्ट (6)** अनुसार **₹ 50470.00** की वसूली नहीं की गई थी जिससे स्पष्ट है कि पंचायत अपने राजस्व की उगाही के प्रति गम्भीर नही है। अतः परामर्श दिया जाता है कि लम्बित करों एवं बकाया राशियों की शीघ्र वसूली हेतु नियमानुसार प्राथमिकता के आधार पर अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

(ख) गृहकर व दान से प्राप्त राशि ₹ 0.07 लाख की राशि को रोकड़ बही व बैंक खाते में जमा न करने बारे ।

ग्राम पंचायत शिलीराजगीरी खंड कुल्लू , जिला कुल्लू (हि० प्र ०) की अवधि 1/04/22 से 31-03-24 के अंकेक्षण के दौरान गृह कर से प्राप्त आय की रसीद बुकों की पड़ताल में पाया गया कि रसीद संख्या 19901 से रसीद संख्या 19940 ,रसीद संख्या 19982,40107 के अंतर्गत वसूली गयी ₹7460 की राशि को न ही पंचायत की रोकड़ बही में दर्ज किया गया था न ही बैंक खाते में जमा किया गया था जोकि गंभीर वित्तीय अनियमितता को दर्शाता है तथा साथ ही सरकारी धनराशि के गबन की संभावना को भी दर्शाता है ।

Sr. No	Receipt No	Date	Particular	Amount received
1	19901 To 19939	21.04.22 to 23.04.22	House Tax	7320
2	19940	24.02.22	Donation	100
3	19982	03.10.22	Donation	20
4	40107	31.03.2023	Donation	20
	Total			**7460**

उक्त अनियमितता को अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 08 दिनाँक 08.11.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत शिल्लीराजगीरी के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि इस राशि की वसूली करके संबन्धित निधि में जमा करवा दिया जाएगा व भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि को नहीं दोहराया जाएगा। अत : उपरोक्त धनराशि को बैंक में जमा न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये व उचित स्त्रोत से वसूली करने के उपरांत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

(ग) विवाह पंजीकरण शुल्क ₹ 3200 की कम वसूली करना :-

संयुक्त निदेशक, पंचायती राज विभाग, हि0प्र0 के पत्र संख्याः PCH-HA(1)8/2013-Marriage-8017-8106 दिनांक 28.10.16 व सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्याः SJE-A-A(3)-1/2015 दिनाँक 4.10.16 के अन्तर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में **₹**200 प्रति पंजीकरण तथा विलम्ब के लिए **₹** 400 अर्थात दोगुनी दर से पंजीकरण शुल्क प्राप्त की जानी निर्धारित है परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा अवधि 01.04.22 से 31.03.2024 के दौरान विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में निम्न विवरणानुसार **₹ 3200** की कम वसूली की गई थी। जिसका विवरण इस प्रकार से है :-

क्रम संख्या	रसीद संख्या / दिनांक	आवेदनकर्ता का नाम	विवाह की तारीख	विवाह पंजीकरण की तारीख	वसूली योग्य राशि	वसूल की गयी राशि	कम प्राप्त राशि
1	19984	Budh Ram S/o Bashakhu ram	25/09/22	27/10/2022	400	200	200
2	19988	Abhilash thakur S/o nihal singh	26/09/2022	09/12/2022	400	200	200
3	40105	Ramesh Thakur S/o Tulje Ram	21-02-2023	27-03-2023	400	200	200
4	40110	Gain chand S/o Surat Ram	25-02-2023	03-04-2023	400	200	200
5	40116	Pritam Chand S/o Baghat Ram	22-02-2023	12-04-2023	400	200	200
6	40117	Sher singh S/o RamChand	28/02/2023	12/04/2023	400	200	200
7	40151	Ramesh S/o Jagjeevan	10/10/2023	202/11/2023	400	200	200
8	40157	Mohru S/o Sarvdyal	05/01/2024	09/02/2024	400	200	200
9	Nil	Guddu S/o Veenu	18/04/2022	17/10/2022	200	0	200
10	Nil	Mohar Singh S/o Paras Ram	21/11/2022	21/12/2022	200	0	200
11	Nil	Ramesh S/o Shyam chand	24/11/2022	23/12/2022	200	0	200
12	Nil	Govind S/o Devi Ram	09/05/2023	29/05/2023	200	0	200
13	Nil	Surender Singh S/o Shiv Dyal	06/11/2023	04/12/2023	200	0	200
14	Nil	Dharam Chand S/o Parmanand	10/11/2023	12/12/2023	400	0	400
15	Nil	jagdish S/o.Tape Ram	11/11/2023	12/12/2023	200	0	200
Total							**3200**

सचिव ग्राम पंचायत शिलीराजगीरी को अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 07 दिनाँक 05.11.2024 द्वारा इस सम्बन्ध में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु कहा गया था जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि विवाह पंजीकरण शुल्क की कम वसूली राशि को वसूल करके पंचायत निधि में जमा करवा दिया जाएगा तथा भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि को नहीं दोहराया जाएगा । अत : परामर्श दिया जाता है कि उपरोक्त राशि की वसूली उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करते हुए पंचायत निधि में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए ।

(घ) स्व: स्त्रोत से प्राप्त राशि ₹ 70 की राशि को रोकड़ बही व बैंक खाते में कम जमा करने बारे ।

ग्राम पंचायत शिलीराजगीरी खंड कुल्लू , जिला कुल्लू (हि० प्र ०) की अवधि 1/04/22 से 31-03-24 के अंकेक्षण के स्व: स्त्रोत से प्राप्त आय की रसीद बुकों की पड़ताल में पाया गया कि रसीद संख्या 19946 से व रसीद संख्या 40701, के अंतर्गत वसूली गयी राशि में से ₹ 70 की राशि को पंचायत की रोकड़ बही में कम दर्ज किया गया था ।

Sr. No	Receipt No	Date	Particular	Amount received	Amount Deposited	Less Deposit
1	19946	26.04.22	Donation	40	20	20
2	40701	03.04.22	Donation	100	50	50
	Total					**70**

उक्त अनियमितता को अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 08 दिनाँक 08.11.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत शिल्लीराजगीरी के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि इस कम वसूली राशि को वसूल करके पंचायत निधि में जमा करवा दिया जाएगा तथा भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि को नहीं दोहराया जाएगा । अत : उपरोक्त धनराशि को बैंक में जमा न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा उचित स्त्रोत से वसूली करने के उपरांत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।अत : उपरोक्त धनराशि को बैंक में जमा न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा उचित स्त्रोत से वसूली करने के उपरांत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

(ङ०) स्व : स्त्रोत से प्राप्त आय ₹ 0.13 लाख की राशि को पंचायत निधि में जमा न करके व्यय करने बारे ।

ग्राम पंचायत शिल्लीराजगीरी विकास खण्ड कुल्लू, जिला कुल्लू (हि० प्र ०) की अवधि 01.04.22 से 31.03.24 के अंकेक्षण के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों की जांच में पाया गया कि पंचायत द्वारा स्व : स्त्रोत से प्राप्त आय के रूप में वसूली की गयी ₹ 13084.00 की राशि को पंचायत निधि में जमा करवाए बिना ही व्यय किया गया था जबकि हि०प्र० वित्त नियमावली 2009 के नियम 3 अनुसार उपरोक्त राशियों को निधि में जमा किया जाना अपेक्षित था । पंचायत द्वारा इन राशियों को निधि में जमा कराए बिना ही खर्च कर दिया जोकि सरकारी धन के दुरुपयोग को दर्शाता है । जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

वर्ष	प्राप्ति	रोकड़ से व्यय राशि	जमा बैंक
2022- 23	39197	8617	37800
2023-24	4270	4467	0
योग	**43467**	**13084**	**37800**

उक्त अनियमितता को अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 08 दिनाँक 08.11.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत शिल्लीराजगीरी के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि इस संबंध में उचित कार्यवाही करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा तथा इस प्रकार की त्रुटि को नहीं दोहराया जाएगा। अत : परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में प्रत्येक आय को बैंक में जमा करने के उपरांत ही व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपाना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

(च) विवाह पंजीकरण फीस के रूप में प्राप्त राशि ₹ 0.02 लाख को सम्बन्धित विभाग के खाते में जमा न करने बारे ।

हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अधियाचना संख्या :-एस.जे.ई.-ए-ए-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.2016(हिमाचल प्रदेश विवाह रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) नियम 2016) के बिन्दु 3 के अनुसार रजिस्ट्रीकरण फीस, विवाह रजिस्ट्रार के पक्ष में नगद द्वारा या Money ऑर्डर के माध्यम से जमा की जाएगी और ऐसी फीस की प्राप्ति पर विवाह रजिस्ट्रार प्रारूप 4 में रसीद जारी करेगा । ग्राम पंचायत शिल्ली राजगीरी के अभिलेखों की पड़ताल एवं उपलब्ध करवाई गयी सुचना के अनुसार पंचायत को वर्ष 2022-23 व 2023-24 में **परिशिष्ट -7** अनुसार ₹ 2400 की राशि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त हुई थी । नियमानुसार ग्राम पंचायत द्वारा विवाह पंजीकरण से प्राप्त

राशि को हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में राजकीय कोष के शीर्ष 0235-00-800-03 में जमा किया जाना अपेक्षित था। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा विवाह पंजीकरण से प्राप्त राशि को हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में जमा नहीं करवाया जा रहा है । उक्त धनराशि को ग्राम पंचायत द्वारा द्वारा विवाह रजिस्ट्रार के पक्ष में जमा करवाया जाना चाहिए था परन्तु उक्त राशि लेखा परीक्षा अवधि 04/2022 से 03/2024 तक ग्राम पंचायत के बैंक खाते में जमा थी तथा राशि को सम्बंधित विभाग को प्रदान नहीं किया गया था जोकि नियमो की स्पष्ट अवहेलना थी। सचिव ग्राम पंचायत शिल्लीराजगीरी को अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 05 दिनाँक 04.11.2024 द्वारा इस सम्बन्ध में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु कहा गया था जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि विवाह पंजीकरण शुल्क की राशि को शीघ्र ही संबन्धित विभाग में जमा करवा दिया जाएगा तथा भविष्य में इस भविष्य में इस राशि को समय समय पर संबन्धित विभाग में जमा कर दिया जाएगा। अतः विवाह पजीकरण शुल्क को सम्बन्धित विभाग को प्रदान न करने का कारण व हिमाचल प्रदेश विवाह रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) नियम 2016 की अनुपालना न करने का कारण लेखा परीक्षा को स्पष्ट किया जाए।

7. सचिव ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग के आदेशों की अवेहलना करके ₹ 104.64 लाख की सामग्री पर व्यय करने बारे ।

सचिव ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या file No –RDD-XEN-/2018 –e-tendring दिनांक जुलाई 2018 के अनुसार ₹ 5.00 लाख से अधिक के सामान को क्रय करने व निर्माण कार्यों का निष्पादन करने हेतु E-Tendering की प्रक्रिया को अपनाना अनिवार्य था । अंकेक्षण के दौरान ग्राम पंचायत शिल्लीराजगीरी के विभिन्न भुगतान वाउचरों के अंकेक्षण पर पाया गया कि **परिशिष्ट -8** अनुसार कुल ₹ 10464009/- के निर्माण कार्य जिनका स्वीकृत मूल्य ₹ 5.00 लाख व उससे अधिक था उस कार्य का निष्पादन करने हेतु E-Tendering को avoid करके पंचायत द्वारा अपने स्तर पर किया गया था , जोकि विकासात्मक कार्य में अनावश्यक देरी व व्यक्तिगत लाभों की संभावना को परिलिक्षित करता है ।

क्र स०	**कार्य का नाम**	**स्वीकृत राशि**
1	निर्माण पंचायत सामुदायिक केन्द्र ग्राम पंचायत शिलीराजगीरी	7929000.00

2	निर्माण सामुदायिक पेयजल टैंक जीत राम के खेत में पाइप लाइन सहित गाँव देवग्रां	794356.00
3	निर्माण पेयजल टैंक डोले राम के खेत में पाइप लाइन सहित	798222.00
4	निर्माण सामुदायिक पेयजल योजना और पाइप लाइन सहित हरी राम के खेत में	942431.00
	कुल योग	**10464009**

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 06 दिनाँक 05.11.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत शिल्लीराजगीरी के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि इस बारे में नियम की जानकारी न होने के कारण राशि का व्यय कर लिया गया था परंतु भविष्य में इस नियम का ध्यान रखा जाएगा व त्रुटि को नहीं दोहराया जाएगा उत्तर संतोषजनक नहीं है l अत : E-Tendering को avoid करके पंचायत द्वारा अपने स्तर पर किया गया था , जोकि विकासात्मक कार्य में अनावश्यक देरी व व्यक्तिगत लाभों की संभावना को परिलिक्षित करता है जिसे नियमों के दृष्टिगत न्यायोचित ठहराया जाए तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए व उपरोक्त मामले पंचायती राज विभाग के उच्चाधिकारियों के ध्यान में विशेष रूप से इस आशय के साथ लाए जाते है कि ऐसे मामलों में विशेष जांच पड़ताल करवाई जाए कि कही नियमों/निर्देशों की अवहेलना करके किसी गम्भीर वित्तीय अनियमितता/दुर्विनियोजन को अन्जाम तो नहीं दिया जा रहा है । इसके अतिरिक्त उपरोक्त करवाये गए कार्यों की कर्योतर स्वीकृति सक्षम अधिकारी से करवाकर अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

08 निर्माण कार्य में दोहरी हाजिरी (double attendance) लगाने के कारण ₹ 3.41 लाख का सम्भावित दुर्विनियोजन एवं अनुचित लाभ प्रदान करना :-

ANNUAL REPORT

ग्राम पंचायत शिल्लीराजगीरी खण्ड कुल्लू, जिला कुल्लू (हि० प्र ०) की अवधि 1/04/22 से 31-03-24 के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा एक ही तिथि में विभिन्न कार्यों हेतु मस्ट्रोल जारी किए गये थे जिसमे काम करने वाले मजदूरों को एक ही तिथि में एक से अधिक मस्ट्रोल में हाजिरी दर्ज की गयी थी जबकि नियमानुसार एक समय में व्यक्ति एक ही कार्य में उपस्थित हो सकता है जिसका विवरण संलग्न है । इस प्रकार पंचायत द्वारा विभिन्न व्यक्तियों को एक समय में एक से अधिक कार्यों में उपस्थित होने के कारण **₹ 340772** का अनियमित व अनुचित भुगतान किया गया था जिसकी

जाँच ग्राम पंचायत द्वारा न ही मस्ट्रोल जारी करते समय की गयी तथा न ही मस्ट्रोल का भुगतान करते समय की गई। इस प्रकार निम्न विवरणानुसार निर्माण कार्य में दोहरी हाजिरी (doubleattendance) के लाभ प्रदान किए गए जोकि गम्भीर वित्तीय अनियमितता को दर्शाता है तथा किसी व्यक्ति विशेष को लाभ पहुँचाने अथवा दुर्विनियोजन के प्रयास को भी दर्शाता है। जिसका विवरण (**परिशिष्ट 9)** में दिया गया है :-

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 08 दिनाँक 08.11.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत शिशवी के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि इस संबंध में उचित जांच की जाएगी तथा भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि को नहीं दोहराया जाएगा। अत : इन कार्यों की जाँच पंचायत स्तर पर की जानी सुनिश्चित की जाए तथा इन व्यक्तियों/ मजदूरों द्वारा किए गए वास्तविक कार्य की भुगतान राशि ही प्रदान की जाए तथा अतिरिक्त राशि की वसूली करके संबन्धित निधि में जमा किया जाना सुनिश्चित करवाया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9 (क) रॉयल्टी से संबन्धित फार्म w या x प्रस्तुत किए बिना ठेकेदारों को ₹ 10.56 लाख का भुगतान :-

अवधि 04/2022 से 03/2024 में रेत,बजरी व पत्थर की खरीद की गई थी परन्तु खरीद की गई निर्माण सामग्री के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स नियम 2015 के नियम 81 व 81-ए के अनुसार ठेकेदार/विक्रेता द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर फार्म 'X' या 'W' प्रस्तुत करना अनिवार्य है अन्यथा उसे रॉयल्टी का भुगतान 25 प्रतिशत पेनल्टी के साथ करना होगा, परन्तु निदेशक पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या एक्स.ई.एन-(आर.डी. एवं पी.आर)-डी.बी.जनरल/2023-1/204192/2023-34307-30, दिनांक 02.11.2023 के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश के आदेशों की अनुपालना में अब ठेकेदार/विक्रेता से खनन सामग्री की आपूर्ति पर रॉयल्टी की कटौती नहीं की जाएगी तथा आपूर्ति हेतु भुगतान उनके द्वारा फार्म "X"या "W" प्रस्तुत करने पर ही किया जाएगा। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत शिल्ली राजगीरी द्वारा आपूर्तिकर्ता से खनन सामग्री जैसे पत्थर,रेत,बजरी इत्यादि की आपूर्ति पर उक्त ट्रांज़िट पास अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ता को सलग्न विवरण अनुसार ₹ **1055565** का अनियमित भुगतान किया गया। जिसका विवरण **परिशिष्ट (10)** में दिया गया है।

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 08 दिनाँक 08.11.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत शिल्लीराजगीरी के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि ठेकेदार /सप्लायर से रॉयल्टी की राशि अवधि 01-04-22 से 31-03-24

तक नहीं वसूली गयी थी जिसे संबन्धित ठेकेदार /सप्लायर से वसूल करके सरकारी कोष में जमा करवा दिया जाएगा तथा भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि को नहीं दोहराया जाएगा। उत्तर संतोषजनक नहीं है । ट्रांजिट पास अथवा फॉर्म 'X' या 'W' प्राप्त करने के कारण जहाँ एक ओर संविदाकार/आपूर्तिकर्ता को अनियमित भुगतान किया गया है वहीँ दूसरी ओर रॉयल्टी के रूप में प्राप्त होने वाली आय से सरकारी कोष को वंचित होना पड़ा है। अतः मामला पंचायती राज उच्चाधिकारियों के ध्यान में इस आशय के साथ लाया जाता है कि सभी सम्बन्धित संस्थानों को दिशा-निर्देश जारी किए जाए कि निर्माण सामग्री की आपूर्ति वैध स्रोत से प्राप्त की जाए व की गई आपूर्ति के एवज में ट्रांजिट पास/फॉर्म 'X' अथवा 'W' प्राप्त किए जाने के बाद/उपरान्त ही आपूर्तिकर्ता को भुगतान किया जाए।

(ख) स्त्रोत पर आयकर की कटौती न करके ₹ 0.23 लाख का संविदाकार को अनियमित भुगतान करने बारे :-

सचिव, ग्राम पंचायत शिल्लीराजगीरी द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना व व्यय की पड़ताल करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 व 2023-24 में विभिन्न फर्मो व व्यक्तियों को निर्माण सामग्री की आपूर्ति करने हेतु बिलों का भुगतान किया गया था । जबकि आयकर अधिनियम की धारा 194 (c) में विहित प्रावधान के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति/फर्म/संविदाकार के द्वारा प्रस्तुत भुगतान बिलों से स्त्रोत पर कर की कटौती करना अपेक्षित था । परंतु ग्राम पंचायत द्वारा निम्न विवरणानुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान **₹ 23399** की स्त्रोत पर कर की कटौती नहीं की गई थी । जिसका विवरण (**परिशिष्ट 11)** में दिया गया है ।

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 08 दिनाँक 08.11.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत शिल्लीराजगीरी के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि आयकर के रूप में कटौती न करने के कारण ठेकेदार को किए गए अधिक भुगतान की राशि को वसूल करके संबधित सरकारी विभाग में जमा करवा दिया जाएगा तथा भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि को नहीं दोहराया जाएगा। अतः स्त्रोत पर आयकर की कटौती/वसूली न करने का या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा राशि की वसूली उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण में अवगत करवाया जाए।

(ग) संविदाकार/आपूर्तिकर्ता के भुगतान बिलों से नियमानुसार स्त्रोत पर जी0 एस0 टी0 टी0 डी0 एस0 की कटौती न करने के कारण ₹ 0.25 लाख का अधिक भुगतान करने बारे ।

हिमाचल प्रदेश जी0 एस0 टी0 अधिनियम, 2017 की धारा 51 तथा हि0प्र0 आवकारी एवं कराधान विभाग के पत्र संख्या 12-4/78 EXN-TAX-Part-(278/25)-2950 दिनांक 28-09-2018 के अनुसार किसी भी व्यक्ति /फ़र्म /संस्था /स्थानीय प्राधिकरण अथवा सरकारी विभाग (person/HUF/Firm/Local authority /govt. deductor) द्वारा संविदाकार व्यक्ति ,फ़र्म को सेवाएँ तथा वस्तुएँ प्रदान करने के बदले एक वित्तीय वर्ष में ₹ 250000 से अधिक राशि के भुगतान पर 2% (1 %सी0जी0एस0टी0 +1% एस0जी0एस0टी0 –अंतर्राज्जीय आपूर्ति तथा 2%आई0जी0 एस0 टी0 – अंतर्राज्जीय आपूर्ति) की दर से जी0 एस0 टी0 टी0 डी0 एस0 की कटौती संबन्धित व्यक्ति/फ़र्म/संविदाकार को नगद अथवा बैंक खाते में अदायगी के समय की जानी अपेक्षित है तथा उक्त कटौती की राशि को अगले माह 10 तारीख से पहले संबन्धित विभाग में जमा करवानी अपेक्षित है । सचिव द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना व व्यय की जांच करने पर पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 तथा 2023-24 में विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं को निर्माण कार्यों हेतु सामग्री की आपूर्ति तथा निर्माण कार्यों को करने हेतु ₹ 1939274.00 की राशि भुगतान किया गया था इस प्रकार अंकेक्षण अवधि के दौरान स्त्रोत पर **₹ 25155.00** की राशि की जी0 एस0 टी0 टी0 डी0 एस0 के रूप में कटौती नहीं की गई थी । जिसका विवरण **परिशिष्ट (12)** में दिया गया है ।

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 08 दिनाँक 08.11.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत शिल्लीराजगीरी के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि इस सम्बंध में उचित जांच की जाएगी तथा भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि को नहीं दोहराया जाएगा। अत : उपरोक्त प्रकरण को नियमानुसार उचित ठहराया जाए अन्यथा उपरोक्त राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करके संबन्धित निधि में जमा करवाया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

10. राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका (National Asset Directory) में पंचायत द्वारा सभी चल/अचल सम्पतियों को दर्ज न करना ।

पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में वर्ष 2010-11 में पंचायत मिशन प्रोजेक्ट (एम०एम० पी०) प्रारम्भ की गयी थी । इस योजना के अंतगर्त विभिन्न एप्लिकेशन है जिनमे

पंचायत की दैनिक कार्यवाही जिसे की पंचायत द्वारा की गयी सेवाओं / सामान की खरीद/भुगतान एवं पंचायत सम्पति इत्यादि का इंद्राज करना अनिवार्य है।

ग्राम पंचायत शिल्लीराजगीरी खण्ड कुल्लू जिला कुल्लू (हि० प्र ०) के अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका (National Asset Directory) में पंचायत द्वारा अर्जित सभी चल/अचल सम्पतियों को दर्ज नहीं किया गया। जांच के दौरान पाया गया कि राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका में स्थायी सम्पत्तियों के रूप में केवल प्रिंटर व हीटर ही दर्ज किया गया था तथा उनमे भी सम्पूर्ण जानकारी जैसे खरीद की तारीख तथा मूल्य इत्यादि दर्ज नही थे। इसके अलावा अन्य सम्पतियाँ जैसे लेपटॉप,फ़र्निचर,टेवल ,कुर्सी ,क्रॉकरी इत्यादि का इन्द्राज ही नहीं किया गया था। इसी प्रकार पंचायत द्वारा किये गए समस्त कार्यों को इसमे दर्ज नहीं किया गया था। ग्राम पंचायत ने लेखा परीक्षा की तिथि तक (03/2024) बहुत से कार्यों को पूर्ण किया था तथा पंचायत के पास अपना पंचायत घर है परन्तु पंचायत द्वारा अर्जित सभी प्रकार की चल/अचल सम्पतियों को राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका (National Asset Directory)में दर्ज नहीं किया था। पंचायत द्वारा अर्जित सभी प्रकार की चल/अचल सम्पतियो को वास्तविक मूल्य पर ही पंचायत मिशन प्रोजेक्ट (एम०एम०पी०) द्वारा आरम्भ की गयी इस योजना के अंतगर्त दी गई एप्लिकेशन में दर्ज किया जाना अनिवार्य था। अतः यह स्पष्ट है की पंचायत द्वारा इस एप्लीकेशन के अंतर्गत कार्य को सही ढंग से नहीं किया जा रहा। पंचायत द्वारा उपरोक्त एप्लिकेशन में सभी प्रकार की चल/अचल सम्पतियो को दर्ज न करना भारत सरकार पंचायती राज मंत्रालय की ओर से जारी किये गए निर्देशों का उलंघन ही नहीं बल्कि पंचायत सचिव की लापरवाही भी है जो की गंभीर अनियमितता है।

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 02 दिनाँक 02.11.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत शिल्लीराजगीरी के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि पंचायत द्वारा अर्जित सभी प्रकार की चल/अचल सम्पतियों को राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका (National Asset Directory) में शीघ्र ही दर्ज किया जाएगा। अत : पंचायत द्वारा राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका (National Asset Directory) में सभी प्रकार की चल/अचल सम्पतियो को दर्ज न करने के कारणो को स्पष्ट किया जाये तथा शीघ्र ही दर्ज करने के उपरांत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

11 . भू-राजस्व की वसूली के सन्दर्भ में सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों की अनुपालना न करने के परिणामस्वरूप ग्राम पंचायत राजस्व की अनुवर्ती हानि होने बारे ।

अभिलेखों की नमूना पड़ताल में पाया गया की ग्राम पंचायत शिलीराजगीरी विकास खण्ड कुल्लू,जिला कुल्लू (हि० प्र०) में भू-राजस्व की जो राशि वर्ष में दो बार खरीफ फसल तथा रवी फसल के दौरान लम्बरदार द्वारा जमा करवाई जाती है। इस संबंध में अभिलेखो की पड़ताल करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत शिलीराजगीरी द्वारा भू-राजस्व की राशि तो प्राप्त की जा रही है परंतु पंचायत द्वारा नियमानुसार भू-राजस्व की मांग एवं संग्रहण तथा इस सम्बंध में अभिलेख संधारित करने की प्रक्रिया को नहीं अपनाया जा रहा है । जबकि पंचायत सचिव/सहायक भू-राजस्व की बार्षिक मांग, संग्रहण एवं बकाया अथवा अग्रिम यदि कोई हो, के अभिलेख तैयार करने चाहिए थे जिससे की यह पता लगाया जाता की पंचायत को कितना भू-राजस्व प्राप्त होना था तथा कितना संग्रहण के लिए बकाया था जिसकी मांग की बसूली भविष्य में लम्बरदार या किसी एजेंसी के माध्यम से जैसे भी उचित हो सुनिशिचित की जा सके । अतः पंचायत सचिव द्वारा हिमाचल प्रदेश सरकार के आदेशों की अनुपालना नहीं की गई जिससे पंचायत को अनुवर्ती नुक्सान भी हो रहा है तथा न ही सम्बंधित अभिलेख तैयार किये गए जिनकी अंकेक्षण के दौरान जांच की जा सके । अत :भू-राजस्व की मांग एवं संग्रहण तथा इस सम्बंध में अभिलेख संधारित करने की प्रक्रिया को नहीं अपनाये जाने के कारणो को भी स्पष्ट किया जाए ।

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 03 दिनाँक 02.11.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत शिल्लीराजगीरी के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि भू-राजस्व से प्राप्त आय का मामला नंबरदार से व संबन्धित विभाग में उठाया जाएगा तथा भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि को नहीं दोहराया जाएगा । अत : भू-राजस्व की मांग एवं संग्रहण तथा इस सम्बंध में अभिलेख संधारित करने की प्रक्रिया को नहीं अपनाये जाने के कारण स्पष्ट किये जाए तथा शेष राशि की वसूली करने के उपरांत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये ।

12 (क) बजट प्राक्कलन तैयार न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म -11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा में पारित करना अपेक्षित था। परन्तु जाँच के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि

के दौरान पंचायत का बजट प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया था। इस प्रकार बजट प्राक्कलन तैयार / अनुमोदित न करने के कारण पंचायत द्वारा किया गया व्यय अनियमित है। अत: सचिव द्वारा निर्धारित फार्म -11 पर बजट प्राक्कलन तैयार/अनुमोदित न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

(ख) विहित रजिस्टरों/अभिलेख का अनुरक्षण न करना

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है।

क्र. स.	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	सन्दर्भित नियम
1	निवेश रजिस्टर	1	12
2	मासिक बैंक समाधान विवरणी	--	15(1)
3	वर्गीकृत सार	8	29(4)
4	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
5	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टरों का नियमानुसार उचित तरीके से अनुरक्षण नहीं किया गया है।	25 व 26	72(1) (ए व बी)
6	निर्माण कार्यों की खण्ड विकास अधिकारी से प्राप्त तकनीकी स्वीकृतियों का रजिस्टर	31	95(1)
7	सहायता अनुदान रजिस्टर, हि0प्र0 पंचायती राज सामान्य नियम 1997	8	34

अतः नियमानुसार अभिलेखों व रजिस्टरों का रख-रखाव सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

13. प्रत्यक्ष सत्यापन:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित

है। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

14. **लघु आपति विवरणिका:-**यह अलग से जारी नहीं की गई है।

15. **निष्कर्ष:-**लेखों के रख-रखाव में सुधार की नितान्त आवश्यकता है।

(अनिल कुमार मेहरा)
उप निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाष नं0–0177–2626670

526-530 का0/61 16 JAN 2025

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(3)82/2024–खण्ड–1 दिनाँक, शिमला–09,
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3 जिला पंचायत अधिकारी कुल्लू जिला कुल्लू हि0प्र0।
4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।
पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत शिल्ली राजगीरी, विकास खण्ड कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

(अनिल कुमार मेहरा)
उप निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाष नं0–0177–2626670

का0/61

Financial position of Own Sources of Gram Panchyat Shillirajgiri

Year	Opening Balance	Income	Total	Expenditure	Closing balance
2022-23	881231.75	92241.00	973472.75	67541.00	905931.75
2023-24	905931.75	114618.00	1020549.75	34607.00	985942.75

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत शिलीराजगिरी
वि० ख० कुल्लू जिला कुल्लू (हि०प्र०)

परिशिष्ट संख्या - 2
पैरा संख्या - 5(ii)

Financial position of Grants of Gram Panchyat Shiliirajgiri					
Year	Opening Balance	Income	Total	Expenditure	Closing balance
2022-23	7358254.67	2154081.00	9512335.67	6857813.75	2654521.92
2023-24	2654521.92	1100223.00	3754744.92	2393136.00	1361608.92

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत शिलीराजगिरी
वि० ख० कुल्लू जिला कुल्लू (हि०प्र०)

परिशिष्ट संख्या - 3
पैरा संख्या - 4 (iii)

Financial position of 15 th FC of Gram Panchyat Shiliirajgiri					
Year	**Opening Balance**	**Income**	**Total**	**Expenditure**	**Closing balance**
2022-23	2140384.00	1562822.00	3703206.00	326349.00	3376857.00
2023-24	3376857.00	747683.00	4124540.00	524093.00	3600447.00

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत शिलीराजगिरी
वि० ख० कुल्लू जिला कुल्लू (हि०प्र०)

24

परिशिष्ट संख्या-4

कार्यालय ग्राम पंचायत शिलिराजगिरी

विकास खंड कुल्लू जिला कुल्लू

Sr. no	Bank A/C No	Branch	Head	C.B
1	88330100008689	HPGB Doharanala	Own Source	226797.00
2	88330100030231	HPGB Doharanala	Nirman Panchayt Community Center GP shilirajgiri (SCP)	59040.00
3	88330100030185	HPGB Doharanala	15th FC	3600447.00
4	20006006508	KCCB Kullu	Own,SDP,SDRF Etc.	2210860.00
5	50066091569	KCCB Kullu	14th FC	726.00
6	50066091558	KCCB Kullu	LDP	10236.00
7	50066091547	KCCB Kullu	VKVNY,MPLAD	206906.00
8	50067003944	KCCB Kullu	SBM	3.00
9	34500100001877	Bank of Baroda	IWMP	0.00
	Total			**6315015.00**

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत शिलीराजगिरी
वि० ख० कुल्लू जिला कुल्लू (हि०प्र०)

परिशिष्ट संख्या – 5
पैरा संख्या – 4 (iv)

Financial position of MGNREGA of Gram Panchyat Shillirajgiri

Year	Opening Balance	Income	Total	Expenditure	Closing balance
2022-23	0.00	2580361.10	2580361.10	2580361.10	0.00
2023-24	0.00	1648652.50	1648652.50	1648652.50	0.00

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत शिलीराजगिरी
वि० ख० कुल्लू जिला कुल्लू (हि०प्र०)

23

पैराग्राफ संख्या -6
पैरा संख्या - 6(क)

कार्यालय ग्राम पंचायत शिलिराजगिरी
विकास खंड कुल्लू जिला कुल्लू
Detail of House Tax w. e.f. 04/2022 to 03/2024

Year	Number of Household	Rate Per Household	Opening Balance	Due Amount	Total	Received Amount	Balance Amount
2022-2023	513	30	58710	15390	74100	38780	35320
2023-2024	513	30	35320	15390	50710	240	50470

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत शिलीराजगिरी
वि० ख० कुल्लू जिला कुल्लू (हि०प्र०)

29

परिशिष्ट संख्या - 7
पैरा संख्या - 6 (च)

ग्राम पंचायत शिलीराजगिरी
विकास खंड कुल्लू जिला कुल्लू ।

अवधि 1-04-2022 से 31-03-2024 विवाह शुल्क प्राप्ति

क्र0 स0	दिनांक	प्राप्ति का विवरण	राशि
1	30/08/2022	विवाह शुल्क	200
2	27/10/2022	विवाह शुल्क	400
3	17/03/2022	विवाह शुल्क	600
4	06/04/2023	विवाह शुल्क	200
5	21/08/2023	विवाह शुल्क	200
6	14/11/2023	विवाह शुल्क	200
7	20/11/2023	विवाह शुल्क	200
8	29/02/2024	विवाह शुल्क	400
कुल योग			2400

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत शिलीराजगिरी
वि० ख० कुल्लू जिला कुल्लू (हि०प्र०)

25

परिशिष्ट संख्या- 8
पैरा संख्या - 7

ग्राम पंचायत शिलीराजगिरी विकास खण्ड कुल्लू
पांच लाख से अधिक स्वीकृत राशि की सूचि

क्र स०	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि
1	निर्माण पंचायत सामुदायिक केन्द्र ग्राम पंचायत शिलीराजगिरी	7929000.00
2	निर्माण सामुदायिक पेयजल टैंक जीत राम के खेत में पाइप लाइन सहित गाँव देवग्रां	794356.00
3	निर्माण पेयजल टैंक डोले राम के खेत में पाइप लाइन सहित	798222.00
4	निर्माण सामुदायिक पेयजल योजना और पाइप लाइन सहित हरी राम के खेत में	942431.00
	कुल योग	**10464009**

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत शिलीराजगिरी
वि० ख० कुल्लू जिला कुल्लू (हि०प्र०)

26

परिशिष्ट संख्या - 9
पैरा संख्या - 8

क्रम संख्या	निधि का नाम	मस्ट्रोल संख्या	मस्ट्रोल जारी करने की तारीख	कार्य का नाम	व्यक्ति का नाम	कार्य करने की अवधि	मस्ट्रोल में उपस्थित दिनों की संख्या	दोहरी हाजरी वाले दिनों की संख्या	भुगतान दर	भुगतान राशि
1	14 th FC	1268	26.07.21	निर्माण गन्दे पानी की निकास नाली गाँव रोलगी गाँव से नाले तक	राम कृष्ण पुत्र श्री स्व0 चन्दे राम	01.08.21 से 31.08.21	27 दिन			
	14 th FC	1266	26.07.21	निर्माण खेल मैदान रा 0 व 0 मा0 पाठशाला कावा	राम कृष्ण पुत्र श्री स्व0 चन्दे राम	01.08.21 से 31.08.21		22 दिन	300	6600
2	14 th FC	1278	17.03.22	निर्माण पक्का रास्ता खूब राम के घर से कालटू राम के घर तक	राज कुमार पुत्र श्री मोती राम	01.04.22 से 30.04.22	14 दिन			
					सुमना देवी पत्नी श्री राज कुमार	01.04.22 से 30.04.22	13 दिन			
					बशाख राम पुत्र श्री भोले राम	01.04.22 से 30.04.22	19 दिन			
					गीता देवी पत्नी श्री तुले राम	01.04.22 से 30.04.22	20 दिन			
					चौवें राम पुत्र श्री गुप्त राम	01.04.22 से 30.04.22	17 दिन			
	14 th FC	1279	17.03.22	निर्माण गन्दे पानी की निकास नाली गाँव शगाड़	राज कुमार पुत्र श्री मोती राम	01.04.22 से 30.04.22		10 दिन	300	3000
					सुमना देवी पत्नी श्री राज कुमार	01.04.22 से 30.04.22		10 दिन	300	3000
					बशाख राम पुत्र श्री भोले राम	01.04.22 से 30.04.22		10 दिन	300	3000
					गीता देवी पत्नी श्री तुले राम	01.04.22 से 30.04.22		8 दिन	300	2400
					चौवें राम पुत्र श्री गुप्त राम	01.04.22 से 30.04.22		7 दिन	300	2100
	14 th FC	1267	17.03.22	निर्माण पक्का रास्ता तुले राम के घर से सुवली तक	राज कुमार पुत्र श्री मोती राम	01.04.22 से 30.04.22		14 दिन	300	4200
3	14 th FC	1291	17.03.22	निर्माण पक्का रास्ता तारा चंद के घर से प्रेम चंद के घर तक	धर्म चंद पुत्र श्री टैहलु राम	01.04.22 से 30.04.22	30 दिन			
					अमन पुत्र श्री धर्म चंद	01.04.22 से 30.04.22	30 दिन			
					तीर्थ राम पुत्र श्री केसरु	01.04.22 से 30.04.22	30 दिन			
					नीमी देवी पत्नी श्री तीर्थ राम	01.04.22 से 30.04.22	30 दिन			
	14 th FC	1290	17.03.22	निर्माण पक्का रास्ता अभ राम के घर से बावड़ी तक	धर्म चंद पुत्र श्री टैहलु राम	01.04.22 से 30.04.22		30 दिन	346	10380
					अमन पुत्र श्री धर्म चंद	01.04.22 से 30.04.22		30 दिन	346	10380
					तीर्थ राम पुत्र श्री केसरु	01.04.22 से 30.04.22		30 दिन	300	9000
					नीमी देवी पत्नी श्री तीर्थ राम	01.04.22 से 30.04.22		22 दिन	300	6600
	14 th FC	1288	17.03.22	निर्माण पक्का रास्ता सोभा राम के घर से हीरु बाई तक	धर्म चंद पुत्र श्री टैहलु राम	01.04.22 से 30.04.22		30 दिन	346	10380
					अमन पुत्र श्री धर्म चंद	01.04.22 से 30.04.22		30 दिन	346	10380
					तीर्थ राम पुत्र श्री केसरु	01.04.22 से 30.04.22		30 दिन	300	9000
					नीमी देवी पत्नी श्री तीर्थ राम	01.04.22 से 30.04.22		18 दिन	300	5400
	14 th FC	1287	17.03.22	नि 0 /मू0 रास्ता रा 0 व 0 मा0 पाठशाला कावा से शांगली तक	धर्म चंद पुत्र श्री टैहलु राम	01.04.22 से 30.04.22		30 दिन	346	10380
					अमन पुत्र श्री धर्म चंद	01.04.22 से 30.04.22		30 दिन	346	10380
					तीर्थ राम पुत्र श्री केसरु	01.04.22 से 30.04.22		30 दिन	300	9000

					नीमा देवी पत्नी श्री तीर्थ राम	01.04.22 से 30.04.22		30 दिन	300	9000
	14 th FC	1286	17.03.22	निर्माण निकास नाली वीर सिंह के घर से नाले तक	धर्म चंद पुत्र श्री टैहलु राम	01.04.22 से 30.04.22		30 दिन	350	10500
					अमन पुत्र श्री धर्म चंद	01.04.22 से 30.04.22		10 दिन	350	3500
	14 th FC	1284	17.03.22	निर्माण/ रख रखाव रास्ता गॉव खारका	धर्म चंद पुत्र श्री टैहलु राम	01.04.22 से 30.04.22		20 दिन	350	7000
					अमन पुत्र श्री धर्म चंद	01.04.22 से 30.04.22		20 दिन	350	7000
4	14 th FC	1286	17.03.22	निर्माण निकास नाली वीर सिंह के घर से नाले तक	सुरेश कुमार	01.04.22 से 30.04.22	30 दिन			
					प्रेम चंद	01.04.22 से 30.04.22	9 दिन			
					तेजा सिंह	01.04.22 से 30.04.22	30 दिन			
	14 th FC	1284	17.03.22	निर्माण/ रख रखाव रास्ता गॉव खारका	सुरेश कुमार	01.04.22 से 30.04.22		10 दिन	350	3500
					प्रेम चंद	01.04.22 से 30.04.22		7 दिन	350	2450
					तेजा सिंह	01.04.22 से 30.04.22		20 दिन	396	7920
5	14 th FC	1282	17.03.22	निकास नाली पिछली सेरी	कालटू राम पुत्र श्री सुआरु	01.04.22 से 30.04.22	30 दिन			
					रमेश पुत्र श्री श्याम चंद	01.04.22 से 30.04.22	30 दिन			
					दीपी सिंह पुत्र श्री भगत राम	01.04.22 से 30.04.22	30 दिन			
					वीनु राम पुत्र श्री प्रेम चंद	01.04.22 से 30.04.22	30 दिन			
	14 th FC	1281	17.03.22	नि 0 /मु0 रास्ता मेहर चंद के घर से शांगली टैंक तक	कालटू राम पुत्र श्री सुआरु	01.04.22 से 30.04.22		15 दिन	346	5190
					रमेश पुत्र श्री श्याम चंद	01.04.22 से 30.04.22		5 दिन	300	1500
					दीपी सिंह पुत्र श्री भगत राम	01.04.22 से 30.04.22		20 दिन	346	6920
	14 th FC	1267	17.03.22	निर्माण पक्का रास्ता तुलजे राम के घर से सुवली तक	कालटू राम पुत्र श्री सुआरु	01.04.22 से 30.04.22		30 दिन	346	10380
					रमेश पुत्र श्री श्याम चंद	01.04.22 से 30.04.22		30 दिन	300	9000
					दीपी सिंह पुत्र श्री भगत राम	01.04.22 से 30.04.22		30 दिन	346	10380
					मीना देवी पत्नी श्री दीपी सिंह	01.04.22 से 30.04.22		30 दिन	300	9000
					वीनु राम पुत्र श्री प्रेम चंद	01.04.22 से 30.04.22		30 दिन	300	9000
6	IWMP	19864	15.07.22	निर्माण पेय जल टैंक हरी राम के खेत में	तेज राम	16.07.22 से 15.08.22	30 दिन			
					जुगी देवी	16.07.22 से 15.08.23	20 दिन			
					चंदी देवी	16.07.22 से 15.08.22	30 दिन			
					कोमल भारती	16.07.22 से 15.08.22	30 दिन			
	IWMP	19866	15.07.22	निर्माण पेय जल टैंक डाले राम के खेत में	तेज राम	16.07.22 से 15.08.22		30 दिन	346	10380
					जुगी देवी	16.07.22 से 15.08.22		2 दिन	300	600
					चंदी देवी	16.07.22 से 15.08.22		30 दिन	300	9000
					कोमल भारती	16.07.22 से 15.08.22		30 दिन	300	9000
	IWMP	19869	15.07.22	निर्माण अमृत सरोवर नागनी पधर	कोमल भारती	01.08.22 से 30.08.22		15 दिन	350	5250

98

	IWMP	19868	15.07.22	निर्माण सिंचाई टैंक बुध राम के खेत में गाँव शालंग	जुगी देवी	01.08.22 से 30.08.22		15 दिन	300	4500
	IWMP	19869	15.07.22	निर्माण अमृत सरोवर भूझंग लालोट	चंदी देवी	15.08.22 से 15.09.22		15 दिन	350	5250
					कोमल भारती	15.08.22 से 15.09.22		15 दिन	350	5250
7	14 th FC	1293		निर्माण पक्का रास्ता फ़तेह चंद के घर से मेहर चंद के घर तक	श्री मति राज कुमारी	01.04.22 से 30.04.22	22 दिन			
		1285		निर्माण रख रखाव रास्ता जनाहता से देवता के मंदिर तक	श्री मति राज कुमारी	01.04.22 से 30.04.22		13 दिन	300	3900
		1292		निर्माण पक्का रास्ता शापका से बावड़ी तक	श्री मति राज कुमारी	01.04.22 से 30.04.22		10 दिन	300	3000
8	14 th FC	1278	17.03.22	निर्माण पक्का रास्ता खूब राम के घर से कालटू राम के घर तक	श्री तुले राम	01.04.22 से 30.04.22	12 दिन			
		1279	17.03.22	निर्माण गन्दे पानी की निकास नाली गाँव शगाड़	श्री तुले राम	01.04.22 से 30.04.22		7 दिन	346	2422
9	14 th FC	1287	17.03.22	नि0 /मू0 रास्ता रा0 व0 मा0 पाठशाला कावा से शांगली तक	श्री मति विमला देवी	01.04.22 से 30.04.22	30 दिन			
		1288	17.03.22	निर्माण पक्का रास्ता सोभा राम के घर से हीरु बाई तक	श्री मति विमला देवी	01.04.22 से 30.04.22		30 दिन	300	9000
		1290	17.03.22	निर्माण पक्का रास्ता अभे राम के घर से बावड़ी तक	श्री मति विमला देवी	01.04.22 से 30.04.22		30 दिन	300	9000
		1291	17.03.22	निर्माण पक्का रास्ता तारा चंद के घर से प्रेम चंद के घर तक	श्री मति विमला देवी	01.04.22 से 30.04.22		30 दिन	300	9000
10	14 th FC	1267	17.03.22	निर्माण पक्का रास्ता तुलजे राम के घर से सुवली तक	श्रीमति मीना देवी	01.04.22 से 30.04.22	30 दिन			
		1281	17.03.22	नि0 /मू0 रास्ता मेहर चंद के घर से शांगली टैंक तक	श्रीमति मीना देवी	01.04.22 से 30.04.22		28 दिन	300	8400
		1282	17.03.22	निकास नाली पिछली सेरी	श्रीमति मीना देवी	01.04.22 से 30.04.22		30 दिन	300	9000
	कुल योग									340772

Santosh Kumar
Junior Auditor
HP CAO Shimla-9

परिशिष्ट संख्या- 10
पेज संख्या - 9(5)

क्र0 सं0	आपूर्तिकर्ता	बिल संख्या /दिनांक	मद का नाम	मात्रा CFT	भुगतान राशि
General head					
1	Mohar Singh Transport & Logistics Services	121/25-05-22	Sand	481	19095
2			Agg	900	33300
3	do	067/12-07-22	Sand	450	17865
4			Agg	766	28842
5	do	070/02-08-22	Sand	296	11757
6			Agg	492	18204
7	do	118/16-05-22	Sand	53	2104
8			Agg	101	3737
9	do	114/16-05-22	Sand	72	2888
10			Agg	136	5032
11	do	113/16-05-22	Sand	100	3970
12			Agg	199	7363
13	do	112/16-05-22	Sand	135	5359.5
14			Agg	256	9472
15	do	110/16-05-22	Sand	58.5	2322.45
16			Agg	116.9	4325.3
17	do	111/16-05-22	Sand	187	7423.9
18			Agg	354	13098.6
19	do	109/16-05-22	Sand	80	3176
20			Agg	151	5587
21	do	108/16-05-22	Sand	53	2104
22			Agg	101	3737
23	do	107/16-05-22	Sand	92	3652
24			Agg	175	6475
25	do	106/16-05-22	Sand	114	4525
26			Agg	216	7992
27	do	120/16-05-22	Sand	98	3890
28			Agg	190	7030
29	do	117/16-05-22	Sand	35	1384
30			Agg	67	2479
31	do	119/16-05-22	Sand	116	4605
32			Agg	233	8621
33	do	116/16-05-22	Sand	88	3493.6
34			Agg	177	6549
35	do	123/16-05-22	Sand	67	2659.9
36			Agg	127	4699
37	do	122/25-05-22	Sand	171	6788
38			Agg	11951	323
39	do	072/16-05-22	Sand	82	3255
40			Agg	156	5772
41	do	071/16-05-22	Sand	72	2858
42			Agg	136	5032
43	do	026/24-11-21	Sand	150	5955
44			Agg	150	5550
45	do	028/24-11-21	Sand	90	3573
46			Agg	170	6290
47	Suresh Kumar Transport & Logistics Services	101/26-12-22	Sand	400	21000
48			Agg	591	30289
49	do	102/26-12-22	Sand	651.5	34223
50			Agg	1095	56173
51	Sankalp Jamwal	031/20-06-23	Sand	428	19902
52			Agg	850	39100
53	do	039/15-07-23	Sand	300	13950
54			Agg	100	4600

56	do	038/15-07-23	Sand	131	6091.5
57			Agg	45	2070
58	do	041/17--7-23	Sand	178	8277
59			Agg	358	16468
60	do	037/14-07-23	Sand	130	6045
61			Agg	260	11960
62	do	040/17-07-23	Sand	130	6045
63			Agg	260	11960
	MGNREGA				
64	Mohar Singh Transport & Logistics Services	049/05-04-2022	Sand	154	6419
65	do	010/06-07-2021	Sand	150	6253
66	do	011/06-07-2021	Sand	150	6253
67	do	012/06-07-2021	Sand	150	6253
68	do	013/06-07-2021	Sand	150	6253
69	do	014/06-07-2021	Sand	150	6253
70	do	015/06-07-2021	Sand	75	3127
71	do	016/06-07-2021	Sand	75	3127
72	do	017/06-07-2021	Sand	150	6253
73	do	018/06-07-2021	Sand	150	6253
74	do	019/06-07-2021	Sand	150	6253
75	do	020/06-07-2021	Sand	150	6253
76	do	021/06-07-2021	Sand	150	6253
77	do	022/06-07-2021	Sand	200	8338
78	do	039/05-04-2022	Sand	154	6419
79	do	041/05-04-2022	Sand	154	6419
80	do	029/05-04-2022	Sand	130	5419
81	do	034/05-04-2022	Sand	130	5421
82	do	037/05-04-2022	Sand	154	6419
83	do	038/05-04-2022	Sand	154	6419
84	do	030/05-04-2022	Sand	130	5421
85	do	040/05-04-2022	Sand	154	6419
86	do	035/05-04-2022	Sand	130	5421
87	do	031/05-04-2022	Sand	130	5421
88	do	033/05-04-2022	Sand	130	5421
89	do	060/05-04-2022	Sand	316	13174
90			Agg	632	24553
91	do	036/05-04-2022	Sand	154	6419
92	do	032/05-04-2022	Sand	130	5421
93	do	045/05-04-2022	Sand	130	5421
94	do	044/05-04-2022	Sand	130	5421
95	do	062/05-04-2022	Sand	537	22384
96			Agg	1074	41374
97	do	061/05-04-2022	Sand	423	17633
98			Agg	847	32905
99	do	063/05-04-2022	Sand	423	17633
100			Agg	847	32905
101	do	064/05-04-2022	Sand	423	17633
102			Agg	847	32905
103	do	046/05-04-2022	Sand	154	6419
104	do	047/05-04-2022	Sand	154	6419
105	do	048/05-04-2022	Sand	154	6419
	Total				**1055565**

Santosh Kumar
Junior Auditor
HP SAD Shimla-9

परिशिष्ट संख्या 11
पृष्ठ संख्या - 19(स)

क्र0 सं0	आपूर्तिकर्ता	बिल संख्या /दिनांक	मद का नाम	भुगतान राशि	आय कर की दर	राशि
General head						
1	Mohar Singh Transport & Logistics Services	121/25-05-22	Sand	19095	2%	381.90
2	do		Agg	33300	2%	666.00
3	do	067/12-07-22	Sand	17865	2%	357.30
4	do		Agg	28842	2%	576.84
5	do	066/14-07-22	Cement & steel Carriage	18800	2%	376.00
6	do	070/02-08-22	Sand	11757	2%	235.14
7	do		Agg	18204	2%	364.08
8	do	069/31-07-22	Cement Carriage	4000	2%	80.00
9	do	124/27-08-22	Cement Carriage	7800	2%	156.00
10	do	125/27-08-22	GI Pipe Carriage	5000	2%	100.00
11	do	126/27-08-22	GI Pipe Carriage	10480	2%	209.60
12	do	127/27-08-22	Shuttring	38250	2%	765.00
13	do	132/27-08-22	Shuttring	32841	2%	656.82
14	do	133/27-08-22	Cemeant Carriage	7800	2%	156.00
15	do	134/27-08-22	Pipe Carriage	2500	2%	50.00
16	do	135/27-08-22	Pipe Carriage	6040	2%	120.80
17	do	136/27-08-22	Shuttring	39500	2%	790.00
18	do	118/16-05-22	Sand	2104	2%	42.08
19	do		Agg	3737	2%	74.74
20	do	114/16-05-22	Sand	2888	2%	57.76
21	do		Agg	5032	2%	100.64
22	do	113/16-05-22	Sand	3970	2%	79.40
23	do		Agg	7363	2%	147.26
24	do	112/16-05-22	Sand	5359.5	2%	107.19
25	do		Agg	9472	2%	189.44
26	do	110/16-05-22	Sand	2322.45	2%	46.45
27	do		Agg	4325.3	2%	86.51
28	do	111/16-05-22	Sand	7423.9	2%	148.48
29	do		Agg	13098.6	2%	261.97
30	do	109/16-05-22	Sand	3176	2%	63.52
31	do		Agg	5587	2%	111.74
32	do	108/16-05-22	Sand	2104	2%	42.08
33	do		Agg	3737	2%	74.74
34	do	107/16-05-22	Sand	3652	2%	73.04
35	do		Agg	6475	2%	129.50
36	do	106/16-05-22	Sand	4525	2%	90.50
37	do		Agg	7992	2%	159.84
38	do	120/16-05-22	Sand	3890	2%	77.80

39	do		Agg	7030	2%	140.60
40	do	117/16-05-22	Sand	1384	2%	27.68
41	do		Agg	2479	2%	49.58
42	do	119/16-05-22	Sand	4605	2%	92.10
43	do		Agg	8621	2%	172.42
44	do	116/16-05-22	Sand	3493.6	2%	69.87
45	do		Agg	6549	2%	130.98
46	do	123/16-05-22	Sand	2659.9	2%	53.20
47	do		Agg	4699	2%	93.98
48	do	122/25-05-22	Sand	6788	2%	135.76
49	do		Agg	323	2%	6.46
50	do	072/16-05-22	Sand	3255	2%	65.10
51	do		Agg	5772	2%	115.44
52	do	071/16-05-22	Sand	2858	2%	57.16
53	do		Agg	5032	2%	100.64
54	do	026/24-11-21	Sand	5955	2%	119.10
55	do		Agg	5550	2%	111.00
56	do	028/24-11-21	Sand	3573	2%	71.46
57	do		Agg	6290	2%	125.80
58	Suresh Kumar Transport & Logistics Services	101/26-12-22	Sand	21000	2%	420.00
59	do		Agg	30289	2%	605.78
60	do	102/26-12-22	Sand	34223	2%	684.46
61	do		Agg	56173	2%	1123.46
62	Sankalp Jamwal	031/20-06-23	Sand	19902	1%	199.02
63	do		Agg	39100	1%	391.00
64	do	039/15-07-23	Sand	13950	1%	139.50
65	do		Agg	4600	1%	46.00
66	do		Bricks	29190	1%	291.90
67	do	038/15-07-23	Sand	6091.5	1%	60.92
68	do		Agg	2070	1%	20.70
69	do	041/17--7-23	Sand	8277	1%	82.77
70	do		Agg	16468	1%	164.68
71	do	037/14-07-23	Sand	6045	1%	60.45
72	do		Agg	11960	1%	119.60
73	do	040/17-07-23	Sand	6045	1%	60.45
74	do		Agg	11960	1%	119.60
MGNREGA						
75	Mohar Singh Transport & Logistics Services	049/05-04-2022	Sand	6419	2%	128.38
76	do	010/06-07-2021	Sand	6253	2%	125.06
77	do	011/06-07-2021	Sand	6253	2%	125.06
78	do	012/06-07-2021	Sand	6253	2%	125.06
79	do	013/06-07-2021	Sand	6253	2%	125.06
80	do	014/06-07-2021	Sand	6253	2%	125.06
81	do	015/06-07-2021	Sand	3127	2%	62.54
82	do	016/06-07-2021	Sand	3127	2%	62.54
83	do	017/06-07-2021	Sand	6253	2%	125.06
84	do	018/06-07-2021	Sand	6253	2%	125.06
85	do	019/06-07-2021	Sand	6253	2%	125.06
86	do	020/06-07-2021	Sand	6253	2%	125.06
87	do	021/06-07-2021	Sand	6253	2%	125.06

88	do	022/06-07-2021	Sand	8338	2%	166.76
89	do	039/05-04-2022	Sand	6419	2%	128.38
90	do	041/05-04-2022	Sand	6419	2%	128.38
91	do	029/05-04-2022	Sand	5419	2%	108.38
92	do	034/05-04-2022	Sand	5421	2%	108.42
93	do	037/05-04-2022	Sand	6419	2%	128.38
94	do	038/05-04-2022	Sand	6419	2%	128.38
95	do	030/05-04-2022	Sand	5421	2%	108.42
96	do	040/05-04-2022	Sand	6419	2%	128.38
97	do	035/05-04-2022	Sand	5421	2%	108.42
98	do	031/05-04-2022	Sand	5421	2%	108.42
99	do	033/05-04-2022	Sand	5421	2%	108.42
100	do	060/05-04-2022	Sand	13174	2%	263.48
101	do		Agg	24553	2%	491.06
102	do	036/05-04-2022	Sand	6419	2%	128.38
103	do	032/05-04-2022	Sand	5421	2%	108.42
104	do	045/05-04-2022	Sand	5421	2%	108.42
105	do	044/05-04-2022	Sand	5421	2%	108.42
106	do	062/05-04-2022	Sand	22384	2%	447.68
107	do		Agg	41374	2%	827.48
108	do	061/05-04-2022	Sand	17633	2%	352.66
109	do		Agg	32905	2%	658.10
110	do	063/05-04-2022	Sand	17633	2%	352.66
111	do		Agg	32905	2%	658.10
112	do				2%	0.00
113	do	064/05-04-2022	Sand	17633	2%	352.66
114	do		Agg	32905	2%	658.10
115	do	046/05-04-2022	Sand	6419	2%	128.38
116	do	047/05-04-2022	Sand	6419	2%	128.38
117	do	048/05-04-2022	Sand	6419	2%	128.38
Total						**23399**

Santosh Kumar
Junior Auditor
HP SAD Shimla-9

36

परिशिष्ट संख्या - 12
पैरा संख्या - 9(ग)

क्र0 सं0	आपूर्तिकर्ता	बिल संख्या /दिनांक	मद का नाम	भुगतान राशि	TDS GST की दर	राशि
General head						
1	Mohar Singh Transport & Logistics Services	121/25-05-22	Sand	19095	2%	381.90
2	do		Agg	33300	2%	666.00
3	do	067/12-07-22	Sand	17865	2%	357.30
4	do		Agg	28842	2%	576.84
5	do	066/14-07-22	Cement & steel Carriage	18800	2%	376.00
6	do	070/02-08-22	Sand	11757	2%	235.14
7	do		Agg	18204	2%	364.08
8	do	069/31-07-22	Cement Carriage	4000	2%	80.00
9	do	124/27-08-22	Cement Carriage	7800	2%	156.00
10	do	125/27-08-22	GI Pipe Carriage	5000	2%	100.00
11	do	126/27-08-22	GI Pipe Carriage	10480	2%	209.60
12	do	127/27-08-22	Shuttring	38250	2%	765.00
13	do	132/27-08-22	Shuttring	32841	2%	656.82
14	do	133/27-08-22	Cemeant Carriage	7800	2%	156.00
15	do	134/27-08-22	Pipe Carriage	2500	2%	50.00
16	do	135/27-08-22	Pipe Carriage	6040	2%	120.80
17	do	136/27-08-22	Shuttring	39500	2%	790.00
18	do	118/16-05-22	Sand	2104	2%	42.08
19	do		Agg	3737	2%	74.74
20	do	114/16-05-22	Sand	2888	2%	57.76
21	do		Agg	5032	2%	100.64
22	do	113/16-05-22	Sand	3970	2%	79.40
23	do		Agg	7363	2%	147.26
24	do	112/16-05-22	Sand	5359.5	2%	107.19
25	do		Agg	9472	2%	189.44
26	do	110/16-05-22	Sand	2322.45	2%	46.45
27	do		Agg	4325.3	2%	86.51
28	do	111/16-05-22	Sand	7423.9	2%	148.48
29	do		Agg	13098.6	2%	261.97
30	do	109/16-05-22	Sand	3176	2%	63.52
31	do		Agg	5587	2%	111.74
32	do	108/16-05-22	Sand	2104	2%	42.08
33	do		Agg	3737	2%	74.74
34	do	107/16-05-22	Sand	3652	2%	73.04
35	do		Agg	6475	2%	129.50
36	do	106/16-05-22	Sand	4525	2%	90.50
37	do		Agg	7992	2%	159.84
38	do	120/16-05-22	Sand	3890	2%	77.80
39	do		Agg	7030	2%	140.60
40	do	117/16-05-22	Sand	1384	2%	27.68
41	do		Agg	2479	2%	49.58
42	do	119/16-05-22	Sand	4605	2%	92.10

43	do		Agg	8621	2%	172.42
44	do	116/16-05-22	Sand	3493.6	2%	69.87
45	do		Agg	6549	2%	130.98
46	do	123/16-05-22	Sand	2659.9	2%	53.20
47	do		Agg	4699	2%	93.98
48	do	122/25-05-22	Sand	6788	2%	135.76
49	do		Agg	323	2%	6.46
50	do	072/16-05-22	Sand	3255	2%	65.10
51	do		Agg	5772	2%	115.44
52	do	071/16-05-22	Sand	2858	2%	57.16
53	do		Agg	5032	2%	100.64
54	do	026/24-11-21	Sand	5955	2%	119.10
55	do		Agg	5550	2%	111.00
56	do	028/24-11-21	Sand	3573	2%	71.46
57	do		Agg	6290	2%	125.80
58	Suresh Kumar Transport & Logistics Services	101/26-12-22	Sand	21000	2%	420.00
59	do		Agg	30289	2%	605.78
60	do	102/26-12-22	Sand	34223	2%	684.46
61	do		Agg	56173	2%	1123.46
62	Sankalp Jamwal	031/20-06-23	Sand	19902	2%	398.04
63	do		Agg	39100	2%	782.00
64	do	039/15-07-23	Sand	13950	2%	279.00
65	do		Agg	4600	2%	92.00
66	do		Bricks	29190	2%	583.80
67	do	038/15-07-23	Sand	6091.5	2%	121.83
68	do		Agg	2070	2%	41.40
69	do	041/17--7-23	Sand	8277	2%	165.54
70	do		Agg	16468	2%	329.36
71	do	037/14-07-23	Sand	6045	2%	120.90
72	do		Agg	11960	2%	239.20
73	do	040/17-07-23	Sand	6045	2%	120.90
74	do		Agg	11960	2%	239.20
MGNREGA						
75	Mohar Singh Transport & Logistics Services	049/05-04-2022	Sand	6419	2%	128.38
76	do	010/06-07-2021	Sand	6253	2%	125.06
77	do	011/06-07-2021	Sand	6253	2%	125.06
78	do	012/06-07-2021	Sand	6253	2%	125.06
79	do	013/06-07-2021	Sand	6253	2%	125.06
80	do	014/06-07-2021	Sand	6253	2%	125.06
81	do	015/06-07-2021	Sand	3127	2%	62.54
82	do	016/06-07-2021	Sand	3127	2%	62.54
83	do	017/06-07-2021	Sand	6253	2%	125.06
84	do	018/06-07-2021	Sand	6253	2%	125.06
85	do	019/06-07-2021	Sand	6253	2%	125.06
86	do	020/06-07-2021	Sand	6253	2%	125.06
87	do	021/06-07-2021	Sand	6253	2%	125.06
88	do	022/06-07-2021	Sand	8338	2%	166.76
89	do	039/05-04-2022	Sand	6419	2%	128.38
90	do	041/05-04-2022	Sand	6419	2%	128.38
91	do	029/05-04-2022	Sand	5419	2%	108.38
92	do	034/05-04-2022	Sand	5421	2%	108.42
93	do	037/05-04-2022	Sand	6419	2%	128.38
94	do	038/05-04-2022	Sand	6419	2%	128.38
95	do	030/05-04-2022	Sand	5421	2%	108.42

96	do	040/05-04-2022	Sand	6419	2%	128.38
97	do	035/05-04-2022	Sand	5421	2%	108.42
98	do	031/05-04-2022	Sand	5421	2%	108.42
99	do	033/05-04-2022	Sand	5421	2%	108.42
100	do	060/05-04-2022	Sand	13174	2%	263.48
101	do		Agg	24553	2%	491.06
102	do	036/05-04-2022	Sand	6419	2%	128.38
103	do	032/05-04-2022	Sand	5421	2%	108.42
104	do	045/05-04-2022	Sand	5421	2%	108.42
105	do	044/05-04-2022	Sand	5421	2%	108.42
106	do	062/05-04-2022	Sand	22384	2%	447.68
107	do		Agg	41374	2%	827.48
108	do	061/05-04-2022	Sand	17633	2%	352.66
109	do		Agg	32905	2%	658.10
110	do	063/05-04-2022	Sand	17633	2%	352.66
111	do		Agg	32905	2%	658.10
112	do			-	2%	0.00
113	do	064/05-04-2022	Sand	17633	2%	352.66
114	do		Agg	32905	2%	658.10
115	do	046/05-04-2022	Sand	6419	2%	128.38
116	do	047/05-04-2022	Sand	6419	2%	128.38
117	do	048/05-04-2022	Sand	6419	2%	128.38
Total						**25155**

Santosh Kumar
Junior Auditor
HPSAD Shimla-9

82